प्रशासनिक आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा जारी पत्र संख्या 1108/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 20 May 2020 में दिए गए निर्देशानुसार कोविड–19 लाक डाउन एवं उसके पश्चात जनपद न्यायालय मीरजापुर (आरेन्ज जोन) में जनपद न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश (कुटुम्ब न्यायालय), विशेष क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित न्यायालय, विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार अधिनियम, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, ई0सी0 एक्ट, गैंगेस्टर व गुण्डा एक्ट एवं अन्य सम्बन्धित एक्ट, पाक्सो एक्ट, एन0डी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित न्यायालय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज(सी0डि0) व सिविल जज(जू0डि0) के न्यायालय/कार्यालय संचालित होंगे।

उपरोक्त न्यायालयों के न्याय–कक्ष में अधिवक्तागण हेतु अधिकतम चार कुर्सियॉ समुचित दूरी पर उपलब्ध करायी जाएंगी एवं न्याय–कक्ष में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क लगाना व सामाजिक/भौतिक डिस्टेन्सिग का अनुपालन किया जाएगा तथा न्यायालय–कक्ष सेनेटाइज किए जाएंगे। किसी भी लोक–स्थान अथवा न्यायालय परिसर के अन्दर थूकना एवं बिना किसी कार्य के उपस्थित होना वर्जित रहेगा।

सभी पुरूष अथवा महिला अधिवक्तागण सफदे शर्ट/कमीज/समीज एवं सफेद अथवा लाइट कलर का पैण्ट/पैजामा/सलवार पहनकर व बैण्ड बांधकर उपस्थित होंगे।

सभी न्यायिक अधिकारीगण को कोट व गाउन पहनने से छूट दी गयी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थानीय इकाई उपरोक्त पत्रांक संख्या 1108/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 20 May 2020 के कमांक 8 में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी। जनपद न्यायालय मीरजापुर में स्थित दूरस्थ न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) चुनार में उपरोक्त पत्रांक के कमांक संख्या 19 के अनुसार कार्य किया जाएगा। दूरस्थ न्यायालय चुनार में भी उपरोक्त परिपत्र की सभी औपचारिकताएं प्रभावी होंगी।

विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर धारा 173 दं0प्र0सं0 से सम्बन्धित पुलिस रिपोर्ट कार्यालय के माध्यम से प्राप्त करेंगे एवं धारा 82/83 दं0प्र0सं0 से सम्बन्धित आदेशिकाओं, गैर जमानती अधिपत्र से सम्बन्धित आवेदनों व धारा 164 दं0प्र0सं0 से सम्बन्धित आवेदनों का निस्तारण करेंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उपरोक्त पत्रांक संख्या 1108/ LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 20 May 2020 के आरेन्ज जोन से सम्बन्धित सभी आवश्यक कार्य करेंगे एवं धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान हेतु महिला अथवा पुरूष मजिस्ट्रेट को अपने स्तर से दिशा–निर्देश जारी करेंगे।

यह आदेश दिनांक 22.05.2020 से प्रभावी है।

दिनांक: 21.05.2020

प्रभारी, जनपद न्यायाधीश,
मीरजापुर।
21/05/2020